

27 अगस्त, 2015 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 66वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा

मद संख्या 66.10 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) सेवाह गांव, जीटी रोड, जिला पानीपत, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 14 अक्टूबर, 2012 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स मित्तल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 15 अक्टूबर 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 2 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 14 अक्टूबर, 2012 तक वैध था।

विकासक ने 23 फरवरी 2016 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने भूमि पर 493 करोड़ रुपए, अन्य गतिविधियों पर 1400 लाख रुपए और 15 लाख रुपए का निवेश दर्शाया है। पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि (14 अक्टूबर 2012) के बाद किया गया वृद्धिमूलक निवेश 90 लाख रुपए है। 1 अगस्त 2015 को एनएसईजेड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान विकासक सूचित किया है कि वे एलओए की वैधता अवधि बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा अवधि बढ़ाए जाने के तुरंत बाद वे प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि हार्डवेयर विकास के लिए आस्ट्रेलिया की कुछ कंपनियों के साथ उनकी वार्ता उन्नत चरण पर है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) बार्गुर, उठानगरई और पोचमपल्ली तालुक, कृष्णगिरि जिला, तमिलनाडु में ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 10 मार्च, 2015 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (सिपकाॅट) का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 10 मार्च 2010 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 10 मार्च, 2015 तक वैध था।

विकासक ने 10 मार्च 2017 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- विकासक ने भूमि के प्रापण पर 6.50 करोड़ रुपए तथा 6.45 किलोमीटर की सड़क के निर्माण पर 9.94 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
- विकासक ने 36 करोड़ रुपए की लागत पर अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि चारदीवारी, आंतरिक सर्विस रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, ओएचटी का सृजन किया है, जलापूर्ति लाइन बिछाई है तथा कस्टम कार्यालय का निर्माण किया है।
- एक यूनिट को 40.47 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।
- 197 एकड़ के लिए 49 यूनिटों को सैद्धांतिक आवंटन प्रदान किया गया है।

- पिछले विस्तार के बाद : विकासक ने फरवरी 2015 के दौरान 25 एकड़ के लिए 2 औद्योगिक यूनिटों को सैद्धांतिक आवंटन प्रदान किया है।
- राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति के माध्यम से 15.12 करोड़ रुपए का एसआईडीई अनुदान प्राप्त किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) चोक्कनहल्ली गांव, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 अक्टूबर, 2015 के बाद पुनः बढ़ाने के लिए मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 30 अक्टूबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 4 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 29 अक्टूबर, 2015 तक वैध था।

विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

- 2.376 हेक्टेयर के भूखंड पर 1,91,757 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र का विकास किया गया है तथा शेष भूखंड विकास के अधीन है जो दिसंबर 2017 तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।
- एक यूनिट स्थापित की गई है तथा नवंबर 2015 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
- परियोजना पर 916.50 करोड़ रुपए के कुल प्रस्तावित निवेश में से अब तक 141 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

**मद संख्या 66.11 : सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में एफटीडब्ल्यूजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स अवाश लाजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

496 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 13 मई, 2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2015 तक वैध था।

अब विकासक ने सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तदनुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम मोटा लयाजा, गोधरा एवं बयाथ, तालुक मांडवी, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 12 मई 2015 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सीलेंड पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

1112 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकासक को 13 मई, 2014 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 12 मई, 2015 तक वैध था।

अब विकासक ने सैद्धांतिक मंजूरी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तदनुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

**मद संख्या 66.12 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध**

(i) 2 फरवरी 2015 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 फरवरी 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 02 फरवरी, 2015 तक है।

यूनिट ने 3 फरवरी, 2017 तक एलओपी की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

परियोजना कार्यान्वयन की अंतिम समय सीमा का पालन न होने के कारण : यूनिट ने बताया है कि वे मई 2012 से साइट पर निर्माण करने में असमर्थ थे जब गुजरात उच्च न्यायालय ने एपीएसईजेड के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में एपीएसईजेड के सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया। अब 15 जुलाई 2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एपीएसईजेड को अपनी सशर्त मंजूरी प्रदान की है।

विकास आयुक्त ने 02 फरवरी 2016 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

**मद संख्या 66.13 : सह विकासक के लिए अनुरोध**

(i) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी फूड एंड एगो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी फूड एंड एगो प्रोसेसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने 57 एकड़ के क्षेत्रफल में मेगा फूड पार्क तथा संबद्ध अवसंरचना सुविधाओं के विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 27 जुलाई, 2015 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 30 साल है। वार्षिक पट्टा किराया 200 रुपए प्रति वर्गमीटर है जो वार्षिक आधार पर देय है। उक्त सह विकासक द्वारा मेगा फूड पार्क स्थापित करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 31 मार्च 2015 भी उपलब्ध कराया गया है।

प्रस्तावित सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, जो एसईजेड के समग्र दीर्घ विकास के हित में होगी, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड में विचार के लिए विकास आयुक्त, एपीएसईजेड द्वारा अग्रोषित किया गया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(ii) रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, मुंबई का अनुरोध**

105.43.86 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने (1) 3 लाख वर्गफीट के क्षेत्रफल में सेवाओं का निर्यात करने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय भवन के अवसंरचना विकास और (2) 2 लाख वर्गफीट के क्षेत्रफल में एसईजेड के प्रबंधन, आधिकारिक स्टाफ तक मजदूरों के लिए गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया प्रारूप पट्टा सह विकास करार उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 99 साल है। वार्षिक पट्टा किराया 10 रुपए प्रति वर्गमीटर प्लस लागू सेवा कर है। पहले साल के पट्टा किराया के बराबर राशि प्रतिभूति जमा के रूप में होगी।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि गिफ्ट सिटी एसईजेड बहुत तेजी से तैयार हो रहा है तथा बैंकों (यूनिट) तथा अन्य यूनिटों के लिए निर्मित स्थान की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड में विचार करने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश की गई है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(iii) अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो जीआईडीसी, पनोली औद्योगिक संपदा, पनोली, जिला भडूच, गुजरात में मैसर्स एचबीएस फर्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे फर्मास्युटिकल एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध**

125.04.94 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 18 जनवरी 2013 को आयोजित 50वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपर्युक्त एसईजेड में ऐसे अधिकृत प्रचालन के लिए सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया है जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक के लिए पत्र दिनांक 24 नवंबर 2011 के माध्यम से अधिकृत किए गए हैं जिनमें एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के संपूर्ण 50 एकड़ में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना, आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य देखरेख, बैंक आदि शामिल हैं। अब उक्त सह विकासक ने अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए अनुरोध किया है।

विकासक के साथ किया गया प्रारूप पूरक सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है जिसके अनुसार सह विकासक ने लगभग 225684.74 वर्गमीटर (लगभग 56 एकड़) के अतिरिक्त क्षेत्रफल के लिए इच्छा व्यक्त की है। इस प्रकार 56 एकड़ की वृद्धि के बाद उक्त सह विकासक के अधीन कुल क्षेत्रफल 106 एकड़ हो जाएगा। पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विकास आयुक्त, केएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(iv) कन्यान्नूर तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में मैसर्स इनफोपार्क एसईजेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जियान एयरकंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

40.82 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जियान एयरकंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन मैन्यूफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2.61 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने तथा आईटी सेक्टर के उद्योग का विकास करने के लिए उक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए सीएसईजेड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 27 मई, 2015 उपलब्ध कराया गया है। पूरक करार दिनांक 16 जनवरी 2015 22 सितंबर 2012 से पट्टा की अवधि 80 साल है। पट्टा अनुरक्षण किराया 100 रुपए प्रति एकड़ है, वार्षिक सिविल प्रभार 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ है तथा सह विकासक को पट्टा पर दिए गए आईटी भवनों के लिए मासिक शुल्क 1.5 रुपए प्रति वर्गफीट है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

**(v) ग्राम महिरी, बुदुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बायोटेक के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एसजे कंट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध**

16.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एस जे कंट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2.695 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कारखाना भवनों, जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के विनिर्माण के लिए उपयुक्त प्रयोगशालाओं के निर्माण, कैफेटीरिया एवं कैंटीन के निर्माण, स्पिंकलर, फायर एंड स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, लैंड स्केपिंग तथा जल पिंडों के निर्माण, जलापूर्ति वितरण नेटवर्क, सीवेज सिस्टम नेटवर्क तथा भवन प्रबंध सिस्टम के निर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

20 फरवरी, 2015 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 64वीं बैठक में प्रस्ताव को पहले शामिल किया गया था। तथापि, विकास आयुक्त के अनुरोध के अनुसरण में अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 25 नवंबर, 2014 उपलब्ध कराया गया है। प्रारूप पट्टा करार दिनांक 1 जनवरी, 2015 भी उपलब्ध कराया गया है। इस करार के अनुसार विकासक सह विकासक द्वारा निष्पादित सुविधा का स्वामी बना रहेगा। विकासक 20 साल की अवधि के लिए 100 वर्गमीटर का क्षेत्रफल पट्टा पर देने के लिए सहमत हो गया है। अवसंरचना सुविधाओं के प्रावधान एवं अनुरक्षण से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिए 26950 वर्गमीटर में अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। विकासक को सह विकासक 15000 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करेगा।

चूंकि सह विकासक ने 26950 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के संबंध में प्रारूप पट्टा विलेख प्रस्तु नहीं किया है इसलिए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

#### मद संख्या 66.14 : विविध मामले

(i) शेयर ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स सनमीना एससीआई टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो ओर्गाइज्म, श्रीपेरंबदूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में ट्रेडिंग तथा लाजिस्टिक्स प्रचालन सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं संबद्ध सहायता सेवाओं के लिए मैसर्स सिपकॉट के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

140.75.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

शेयर होल्डिंग का मौजूदा पैटर्न :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	सनमीना एससीआई सिस्टम्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	99.989
2.	ईटी होल्डिंग्स लिमिटेड, मारीशस	0.011
	कुल	100

शेयर होल्डिंग का प्रस्तावित पैटर्न

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत (लगभग)
1.	सनमीना एससीआई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	99.989
2.	सनमीना एससीआई सिस्टम्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड	0.011
3.	ईटी होल्डिंग्स लिमिटेड, मारीशस	0
	कुल	100

सह विकासक ने उपर्युक्त ब्यौरों के अनुसार शेयर ट्रांसफर करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) नाम बदलकर मैसर्स साइबर पर्ल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड जो चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी लिमिटेड के क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स असेंडास आईटी एसईजेड (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 5 सितंबर 2007 को सह विकासक का दर्जा प्रदान किया गया था। 20 फरवरी 2015 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स साइबर पर्ल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड को इक्विटी शेयर हस्तांतरित करने के लिए सह विकासक को अनुमति प्रदान की थी। विलय / समामेलन की स्कीम जिसे मद्रास के जुडिकेचर के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 30 जून 2015 (अनुबंध 1) के माध्यम से सहमति प्रदान की गई है, के फलस्वरूप सह विकासक ने नाम बदलकर मैसर्स साइबर पर्ल इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध किया है जो सभी परिसंपत्तियों, देयताओं, संविदाओं, पंजीकरण आदि का अधिग्रहण करेगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) विदेशी क्रेताओं / भारतीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसईजेड, नोएडा में एक नई यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टर्लिंग एंटरप्राइजेज का अनुरोध

उपर्युक्त कंपनी विदेशी क्रेताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएसईजेड में यूनिट स्थापित करना चाहती है। यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था जिसमें विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पर आम सहमति नहीं हो सकी क्योंकि प्रस्तावित अधिकृत प्रचालन अर्थात् विदेशी क्रेताओं / भारतीय कंपनियों को सेवाएं प्रदान करना एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 76 के तहत शामिल नहीं है तथा एसईजेड अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 5 के अनुसरण में प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड को संदर्भित किया गया है।

परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक ने भावी निवेशकों को उनके द्वार पर अर्थात् निवेशक के लोकेशन पर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत में एसईजेड में एक सेवा संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करना चाहती है जिनकी भावी निवेशकों को भारत में तथा विभिन्न एसईजेड में निवेश करने के लिए आवश्यकता होगी जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रमोटर्स ने बताया है कि यह माडल दुबई और शंघाई एफटीजेड या एक्सपो पार्क में प्रचलित माडल के समान है। तथापि, जब यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा निजी तौर पर उपस्थित होने के लिए बुलाया गया तो कंपनी का प्रतिनिधि नहीं आया।

प्रस्तावित निवेश 50 लाख रुपए है तथा निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता 500 से 1000 वर्गफीट है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तदनुसार, प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

\*\*\*\*\*